दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना-ग्रामीण परिवारों के लिए 24 घंटे और कृषि के लिए पर्याप्त बिजली

विशेष लेख
डीडीयूजीजेवाई

श्री राजेश मल्होत्रा
श्री एन देवन

देश के सभी हिस्सों में सातों दिन चौबीस घंटे निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण बिजली मुहैया कराना श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की बड़ी प्रतिबद्धताओं में से एक है फिर भी बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से बड़े ग्रामीण क्षेत्रों तथा कई गरीब परिवारों को अब तक यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। हालात तब और बदतर हो जाते हैं जब देश के लाखों किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप द्वारा भूजल का उपयोग करना चाहते हैं लेकिन बिजली नहीं मिलने के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते। पानी का गिरता स्तर तथा ऊर्जा की उच्च सब्सिडियों वाले सस्ते लेकिन शक्तिशाली पंप, बिजली की काफी खपत करते हैं। इससे न केवल राज्यों पर राजकोषीय घाटे का बोझ काफी बढ़ जाता है बल्कि इसका परिणाम बिजली की कटौती के रुप में सामने आता है जो लोगों की सुविधाओं और उत्पादन में कमी ला देता है।

नकारात्मक रूझान को बदलने के लिए कई राज्यों ने ग्रामीण बिजली के अलग-अलग करने के लिए कार्यक्रम तैयार किये है। जिसके तहत कृषि तथा गैर कृषि उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग व्यवस्था की जाती है। विश्व बैंक के द्वारा इस योजना के मूल्यांकन के अनुसार गुजरात इस योजना का बेहतर और शानदार उदाहरण गुजरात सरकार ने बिजली चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने और जारी दिशा निर्देशों के पालनों से इनकार करने वाले किसानों के लिए आदर्श व्यवस्था तैयार की। अंत में, गुजरात की बिजली इकाईयों ने 500 पूर्व सैनिकों की तैनाती के जरिये नियमों को क्रियान्वित करने का फैसला किया। गुजरात के लोड प्रंबधन सुधारों से कुल मिलाकर, किसानों के बीच बिजली और भूजल दोनों की ही मांग में कमी लाने का प्रयास किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य रुप से गांवों और लघु ग्रामीण उद्योगों को अधिक बिजली की आपूर्ति की गई।

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) को मंजूरी दी गई है। इस योजना की प्रेरणा गुजरात सरकार द्वारा लागू इसी प्रकार की योजना से मिली है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बहु प्रतिक्षित सुधारों को लागू करने में मदद मिलेगी। योजना के अन्तर्गत ग्रामीण घरों और कृषि कार्यों के लिए अलग अलग फीडर की व्यवस्था कर पारेषण और वितरण ढ़ाचे को मजबूत किया जाएगा। इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सभी स्तरों पर बिजली के मीटर लगाए जाएंगे। इस व्यवस्था की सहायता से ग्रामीण घरों को तथा कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मुहैया कराने में मदद मिलेगी। इससे पहले भी ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली की आपूर्ति के लिए शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना को नयी योजना में सम्मिलित किया गया है।

योजना के घटक:

योजना का प्रमुख भाग अलग-अलग फीडर की व्यवस्था कर उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाना है और सभी स्तरों जैसे इनपुट पाइंट, फीडर और वितरण ट्रांसफार्मर पर मीटर लगाना है। राजीव

गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत पहले ही 'माइक्रो और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क और ग्रामीण विद्युतीकरण' का कार्य किया जा चुका है।

बजटीय सहायता

इस योजना के लिए कुल 43 हजार 33 करोड़ के निवेश की आवश्यकता है। जिसमें से भारत सरकार (योजना की पूरी अवधि में) 33 हजार 4 सौ 53 करोड़ की सहायता देगी। निजी डिस्कॉम एवं राज्य बिजली विभागों समेत सभी डिस्कॉम इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगी। डिस्कॉम विशिष्ट नेटवर्क जरूरत को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण ढांचागत कार्यों को मजबूत बनाने को वरीयता देंगी और इस योजना के तहत आने वाली परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगी।
इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) होगी। आरईसी, योजना के लागू किए जाने की मासिक प्रगति रिपोर्ट को ऊर्जा मंत्रालय तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इस रिपोर्ट में वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति का ब्यौरा दिया जाएगा।

निगरानी समितिः

ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति, योजना के तहत परियोजनाओं को स्वीकृति देगी तथा इनको लागू किए जाने की निगरानी करेगी। इस योजना के तहत अनुशंसित दिशा-निर्देशों के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बिजली मंत्रालय, राज्य सरकार और डिस्कॉम के बीच एक उपयुक्त त्रिपक्षीय समझौता किया जाएगा जिसमें पावर फाइनेंस कार्पोरेशन एक नोडल एजेंसी होगी। राज्य बिजली विभागों के मामलों में द्विपक्षीय समझौते होंगे।

योजना की अवधिः

कार्य के लिए पत्र जारी किये जाने की तारीख से 24 महीनों की अवधि के भीतर योजना को पूरा किया जाएगा।

वित्त पोषण पद्धति :

योजना के अनुदान का हिस्सा विशिष्ट वर्ग राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के लिए 60 फीसदी (अनुशंसित उपलब्धि अर्जित करने पर 75 प्रतिशत तक) और विशिष्ट वर्ग राज्यों के लिए 85 फीसदी (अनुशंसित उपलब्धि अर्जित करने पर 90 प्रतिशत तक) तक है। अतिरिक्त अनुदान के लिए अपेक्षित उपलब्धियां हैं : योजना का समय पर पूरा होना, एटी एंड सी में अपेक्षित कमी और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी को अग्रिम रूप से जारी करना। सिक्किम समेत सभी पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड विशिष्ट वर्ग राज्यों में शामिल हैं।

* श्री राजेश मल्होत्रा, पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली में निदेशक और श्री एन देवन, सूचना कार्यालय, नई दिल्ली में सहायक निदेशक हैं।

(स्रोत : पसूका)